

5

समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

राजसात् वाद संख्या-126/2022-23

जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)

-बनाम्-

मानिक चन्द महतो एवं अन्य

-आदेश:-

14.08.2023

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अध्याचना सं०-13/2023, दिनांक-14.02.2023 के द्वारा कसमार थाना कांड सं०-99/2020, दिनांक-28.09.2020, धारा-379/414 भा०द०वि० के अन्तर्गत जप्त 1. हीरो होण्डा मोटर साईकिल रजि० नं०-JH09L-6290 एवं उस पर लदा करीब 01 क्विंटल कच्चा कोयला वाहन मालिक मानिक चन्द महतो, पिता शशि भूषण महतो सा०-कसमार, मधुकरपुर, खुर्द, चान्दो, चण्डीपुर, बोकारो 2. बजाज प्लेटिना मोटरसाईकिल रजि० सं०-JH02L-9312 एवं उस पर लदा करीब 01 क्विंटल कच्चा कोयला 3. हीरो होण्डा मोटर साईकिल रजि० सं० अंकित नहीं, चेचिस सं०-05F29F30925 एवं उस पर लदा करीब 01 क्विंटल कच्चा कोयला 4. हीरो स्पेलेण्डर मोटर साईकिल रजि० सं०-JH09V-6186 एवं उस पर लदा करीब 01 क्विंटल कच्चा कोयला वाहन मालिक श्री पिन्दु साव, पिता धनेश्वर साव, सा० बगियारी, तेलियाडीह, पो०-टांगटोना, कसमार, जिला बोकारो 5. हीरो होण्डा मोटर साईकिल रजि० नं०-JH09F-0384 एवं उस पर लदा करीब 01 क्विंटल कच्चा कोयला वाहन मालिक राम शंकर रविदास, पिता जगदीश रविदास सा०-पधियाटाँड़, ओरमो, चण्डीपुर, कसमार बोकारो 6. हीरो स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल रजि० सं०-अंकित नहीं, चेचिस नं० एवं इंजन सं०-अस्पष्ट एवं उस पर लदा करीब 01 क्विंटल कच्चा कोयला के विरुद्ध अवैध खनन एवं परिवहन करने के आरोप में दर्ज किया गया है। फलस्वरूप उनके The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत जप्त वाहन एवं उस पर लदे कोयला खनिज को राजसात् की कार्यवाही करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।


14.8.23

वाद का सारांश है कि दिनांक-28.09.2020 को सुबह 4:00 बजे स0अ0नि0, कसमार थाना को सूचना मिली की कुछ लोग मोटरसाईकिल से कोयला लोड कर दाँतु से ओरमो रोड में निकला है। सूचना के सत्यापन हेतु वह सशस्त्र पुलिस बल के साथ घटना स्थल की ओर प्रस्थान किए। उन्होंने देखा कि ओरमो गाँव से दाँतु जाने वाली पक्की सड़क पुल पर ओरमो ग्राम के पास मोटसाईकिल पर कोयला लोड कर कुछ लोग ओरमो की ओर आ रहे हैं। पुलिस गाड़ी एवं बल को देखकर सभी मोटरसाईकिल सवार, वाहन एवं उस पर लदा कोयला को छोड़कर भागने लगे। भागने के क्रम में पुलिस बल के सहयोग से तीन व्यक्तियों को पकड़ लिया गया और शेष भागने में सफल रहे। पकड़े गए व्यक्तियों से कागजात माँगे जाने पर उनके द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात विधिवत रूप से जप्ती सूची बना कर जप्त वाहन एवं उस पर लदा कोयला तथा वाहन के मालिक/चालक के विरुद्ध कसमार थाना में काण्ड दर्ज किया गया।

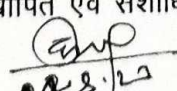
उक्त के क्रम में वाहन के मालिकों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

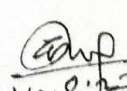
सूचना प्राप्त करने के पश्चात प्रतिवादी सं0-1, 4 एवं 5 की ओर से सिर्फ वकालतन हाजिरी देते हुए कारण-पृच्छा दाखिल करने हेतु बार-बार समय की माँग की गई। किन्तु अब तक उनके द्वारा कोई भी लिखित जबाब/कारण-पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है। विपक्षी सं0-2 को भेजा गया नोटिस बिना तामिला के वापस प्राप्त है। प्रतिवादी सं0-3 एवं 6 के वाहन संख्या स्पष्ट नहीं रहने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी, बोकारो से वाहन के संदर्भ में प्रतिवेदन की माँग की गई किन्तु उनके कार्यालय ज्ञापांक-461/परि0, दिनांक-25.03.2023 के द्वारा सूचित किया गया कि वाहन का ऑन लाईन विवरणी प्रदर्शित नहीं हो रहा है और एक वाहन का वाहन सं0/ईजन सं0 अंकित नहीं है। फलस्वरूप उन्हें नोटिस नहीं किया जा सका। प्रतिवादी सं0-1, 4 एवं 5 सुनवाई के दौरान पुकार पर प्रायः अनुपस्थित रहे हैं। उनके द्वारा जप्त कच्चा कोयला के संदर्भ में किसी भी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत वाहन के चालक/मालिक के द्वारा बिना परिवहन चालान के ही कोयले का परिवहन किया जा रहा था। बिना वैध कागजात के कोयले का परिवहन करने से सरकार को राजस्व की क्षति हुई है। प्रतिवादियों के द्वारा अपने बचाव में अब तक किसी भी तरह का कोई ठोस प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि प्रश्नगत वाहन के विमुक्ति पर विचार किया जा सके। प्रश्नगत वाहन को अवैध रूप से कोयला का खनन कर परिवहन करने के आरोप में The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत प्रतिवादियों को किसी भी प्रकार की छुट नहीं दी जा सकती है। अतः जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं०-13/2023, दिनांक-14.02.2023 को स्वीकृत करते हुए कसमार थाना कांड सं०-99/2020, दिनांक-28.09.2020, धारा-379/414 भा०द०वि० के अन्तर्गत जप्त 1. हीरो होण्डा मोटर साईकिल रजि० नं०-JH09L-6290 एवं उस पर लदा करीब 01 क्विंटल कच्चा कोयला 2. बजाज प्लेटिना मोटरसाईकिल रजि० सं०-JH02L-9312 एवं उस पर लदा करीब 01 क्विंटल कच्चा कोयला 3. हीरो होण्डा मोटर साईकिल रजि० सं० अंकित नहीं, चेचिस सं०-05F29F30925 एवं उस पर लदा करीब 01 क्विंटल कच्चा कोयला 4. हीरो स्पेलेण्डर मोटर साईकिल रजि० सं०-JH09V-6186 एवं उस पर लदा करीब 01 क्विंटल कच्चा कोयला 5. हीरो होण्डा मोटर साईकिल रजि० नं०-JH09F-0384 एवं उस पर लदा करीब 01 क्विंटल कच्चा कोयला 6. हीरो स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल रजि० सं०-अंकित नहीं, चेचिस नं० एवं इंजन सं०-अस्पष्ट एवं उस पर लदा करीब 01 क्विंटल कच्चा कोयला को राज्य सरकार के हित में राजसात् (Confiscate) किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।


समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।


समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।